

**U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tkkiq
v/; {krk & yfyr d'ekj x'rkj vkbZ, -, I
jktLo f}rh; vihy Iq;k 87@2015**

vihykMI

cuke

jti kMI

1. दुर्गा पुत्र जैरा, उम्र 80 वर्ष
2. धन्ना पुत्र श्री जेरा, उम्र 70 वर्ष, दोनों जाति सिरवी, निवासीगण ग्राम बिजोवा, तहसील देसूरी, हाल तहसील रानी, जिला पाली।

1. पौनी देवी पत्नी श्री मोटाराम पुत्री श्री कसाराम
2. लेरी पत्नी टिकम, पुत्री कसाराम
3. जमना पत्नी भगजी, पुत्री कसाराम
4. सुखी पत्नी घीसाराम, पुत्री कसाराम, निवासीगण, ग्राम बिजोवा, तहसील देसूरी, हाल तहसील रानी, जिला पाली।
5. श्रीमान तहसीलदार महोदय, देसूरी हाल तहसील रानी, जिला पाली।

vihy v'rxr /kjk 76 jkt0 Hw jktLo vf/kfu; e 1956 fo:)

vkns'k दिनांक 1.6.2015 जो जिला कलेक्टर, पाली द्वारा अपील संख्या 15/13 अनवान पौनी देवी बनाम दुर्गा वगैरा मे पारित कर नामान्तरकरण संख्या 86 दिनांक 16.5.1989 को निरस्त किया गया।

mi fLFkr %

1. श्री वी.आर. चौधरी, /एम.एल चौधरी अधिवक्ता, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित।
2. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पोजेन्टस संख्या 1 से 4 की ओर से अधि० उप०
3. शेष रेस्पोजेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

fu.kZ

दिनांक: 29.10.2018

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बिजोवा के खसरा संख्या 245,246 मीन रकबा पौने 13 बीघा 4 बिस्वा की कृषि भूमि स्थित है। जो रेपोडेन्ट वर्तमान अपीलान्त संख्या 1 व 2 के पक्ष मे विरासत का म्युटेशन स्वीकृत किया है जबकि अपीलास भी मृतक के

jktLo vihy l q; 87@2015 nqkz cuke iksh oxjk

विधिक वारिसान है जिनका भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत स्वीकृत किया जाना चाहिए था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी जांच एवं सुनवाई अवसर दिये नामान्तरकरण संख्या 86 स्वीकृत कर दिया, जो विधि के विपरीत होने से प्रकरण पुनः जांच एवं सुनवाई हेतु तहसीलदार को रीमाण्ड किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र तय किये बिना ही एवं पत्रावली दिनांक 7.7.2015 को नोटिस की तलबी शेष के लिये चल रही थी, इसके बावजूद रेस्पोंडेन्ट्स को सूचना दिये बिना ही पेशी दिनांक 7.7.2015 से पूर्व ही पत्रावली दिनांक 1.6.2015 को मुर्कर कर विधि विरुद्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2015 पारित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्त ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

हमने अपीलान्त एवं रेस्पोंडेन्ट्स के अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलान्त के अधिवक्ता ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली दिनांक 7.7.2015 को नोटिस की तलबी शेष के लिये चल रही थी, इसके बावजूद रेस्पोंडेन्ट्स को सूचना दिये बिना ही पेशी दिनांक 7.7.2015 से पूर्व ही पत्रावली दिनांक 1.6.2015 को मुर्कर कर विधि विरुद्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2015 पारित कर दिया। अपीलान्त को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को तय किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना पारित आदेश विधि विपरीत माना जायेगा।

यह है कि विवादित भूमि मौजूदा अपीलान्त द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचान खरीद की थी तथा वक्त खरीद से कब्जा अपीलान्तस को सुपुर्द कर दिया था तब से अपीलान्त का कब्जा-काश्त शांति पूर्वक मौजूदा रेस्पोंडेन्ट की जानकारी से चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय को राजस्व रेकर्ड से यह जानकारी थी कि वादग्रस्त भूमि मौजूदा समय में अपीलान्तस के नाम दर्ज है, इसके बावजूद उक्त तथ्य पर ध्यान दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलान्त स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। अन्य उचित आदेश जो अपीलान्तस के पक्ष में हो पारित फरमाया जावे।

jktLo vihy l q; 87@2015 nqkz cuke iksh oxjk

उपस्थित रेस्पोजेन्ट संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बिजोवा के खसरा संख्या 245,246 मीन रकबा पौने 13 बीघा 4 बिस्वा की कृषि भूमि स्थित है। जो रेपोडेन्ट वर्तमान अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में विरासत का म्युटेशन स्वीकृत किया है जबकि अपीलास भी मृतक के विधिक वारिसान है जिनका भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत स्वीकृत किया जाना चाहिए था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी जांच एवं सुनवाई अवसर दिये नामान्तरकरण संख्या 86 स्वीकृत कर दिया, जो विधि के विपरीत होने से प्रकरण पुनः जांच एवं सुनवाई हेतु तहसीलदार को रिमाण्ड किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई अपने निर्णय में अंकित किया है कि अपीलान्ट मृतक खातेदार के विधिक वारिसान है, तहसीलदार ने बिना किसी जांच के अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया है, जो विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से यथावत रखे जाने योग्य नहीं होने से नामान्तरकरण संख्या 88 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, देसूरी को रिमाण्ड कर आदेशित किया कि वे अपीलाधीन नामान्तरकरण में अंकित राजस्व भूमि के मृतक खातेदारान के विधिक वारिसानों की विधिवत जांच कर बाद जांच एवं सुनवाई न्यायसंगत आदेश पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह विधि सम्मत है, जिसे यथावत रखा जावे।

हमने अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्टस के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली दिनांक 7.7.2015 को नोटिस की तलबी शेष के लिये चल रही थी, इसके बावजूद रेस्पोजेन्टस को सूचना दिये बिना ही पेशी दिनांक 7.7.2015 से पूर्व ही पत्रावली दिनांक 1.6.2015 को मुर्कर कर विधि विरुद्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2015 पारित कर दिया। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को भी तय किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर

jktLo vihy l d; 87@2015 nqkZ cuke i ksh oxjk

दिया। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण जिला कलेक्टर, पाली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान कर पुनः न्यायासंगत आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 29.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼yfyrdęj xřrk ½
fMohtuy dfe'kuj]tkki g